कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

—: अधिसूचना :—

(धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013)

क्रमांक/249/ /अ–82/2018–19/भू–अर्जन/2020 कोण्डागांव, दिनांक 01/01/2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से लेकर खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा–1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

—: अनुसूची :—

भूमि का विवरण					धारा 12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)		
1	2	3	4	5	6	7
कोण्डागांव	माकड़ी	छिनारी	31 33	0.154 0.182	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी कोण्डागांव	ग्राम छिनारी में मारकण्डी नदी सेतु पंहुच मार्ग निर्माण हेतु।
योगः—	—	—	02	0.336	—	—

2— यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है।

4— प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5— प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिये कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6— प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव जिला कोण्डागांव को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नीलकंठ टीकाम)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग कोण्डागांव

क्रमांक/245/ /अ–82/2018–19/भू–अर्जन/2020 कोण्डागांव, दिनांक 01/02/2020

प्रतिलिपिः–

1. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. जिला कार्यालय कोण्डागांव को, अधिसूचना को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के भू–अर्जन से संबंधित वेबसाईट एवं जिला के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु एवं अपलोड किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत्।
2. तहसीलदार माकड़ी को अधिसूचना की प्रति तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, कार्यालय ग्राम पंचायत छिनारी, कार्यालय, जनपद पंचायत माकड़ी कार्यालय में प्रकाशन कर पंचनामा प्रमाण पत्र की प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को पृथक–पृथक उपलब्ध कराने बाबत्। साथ ही साथ संबंधित भूमि अभिलेखों को तहसीलदार दो माह के भीतर अद्यतन करें।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जगदलपुर को उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो समाचार पत्रों, छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में कराने एवं प्रकाशन उपरान्त इसकी प्रति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोण्डागांव को उपलब्ध कराने बाबत्।

(नीलकंठ टीकाम)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग कोण्डागांव